दिनांक26.09.2019

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

उड़नदस्ता की टीम ने 10 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग विभिन्न स्थलों से किया जब्त

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम , भिलाई के उड़नदस्ता की टीम ने जोन क्षेत्र अंतर्गत होटल , रेस्टोरेंट, किराना दुकान , बाजार, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग रखने वालों पर कार्यवाही की। जिसमें बचे हुए बासी खाद्य पदार्थ, नालियों पर कचरा, सफाई व्यवस्था, लायसेंस आदि की जायजा लिया गया तथा 29 प्रतिष्ठान से 22000 रुपये का दाण्डिक शुल्क वसूलकर निगम कोष में जमा कराया गया साथ ही समझाईस दी गई । कार्यवाही में उड़नदस्ता की टीम ने 10 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग जब्त किया गया साथ ही उन्हे कहा गया कि इस तरह की हरकत दोबारा करते पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है। निगम की उड़नदस्ता टीम द्वारा संजय स्टोर्स, कृष्णा ग्रेन स्टोर्स , राज किराना दुकान , यूनिक कलेक्शन, संदीप किराना स्टोर्स , राधास्वामी किराना, रोहित किराना, स्पाइडर हाउस, जय किराना स्टोर्स, शुभम किराना स्टोर्स, चंदु कुमार चायपत्ती विक्रेता , पापुलर डिस्पोजल, श्रीराम रेस्टोरेंट, मद्रास किराना स्टोर्स , जायसवाल इंटरप्राईजेस, अभिषेक ट्रेडर्स, अरोरा जनरल स्टोर्स, राजेश फल ठेला, फुड जोन शोले रेस्टोरेंट, होटल अल अजीज बिरयानी , सुनील सोनकर, सोहेल एण्ड तौफिक पाल्ट्री फार्म , सविनय नास्ता ठेला , राफेल फल ठेला , मनोज कुमार, राकेश कश्यप, राजेश सिंह, राजेश सोनकर पर कार्यवाही की गई।आयुक्त के निर्देश पर उड़नदस्ता की टीम सम्पूर्ण निगम क्षेत्र में सड़क पर कचरा फैलाने वाले तथा सड़क पर सामान रखकर यातायात बाधित करने वाले , प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग विक्रय करने वाले तथा लायसेंस नहीं रखने वालों के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रही है।

जनसम्पर्क अधिकारी